भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4459**
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

## पीएलआई योजना के लिए बजटीय आवंटन

**4459. श्री एंटो एन्टोनी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत केंद्रीय बजट 2025-26 के बजटीय आवंटन में गिरावट के क्या कारण हैं;

**(ख)** वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान योजना के संशोधित अनुमानों में गिरावट के क्या कारण हैं;

**(ग)** क्या सरकार इन उद्योगों के लिए पांच करोड़ रुपये की न्यूनतम व्यय सीमा को कम करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

**(घ)** सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क) और (ख)**: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के तहत, आवेदकों को प्रोत्साहन के लिए पात्र बनने के लिए प्रमुख शर्तों – बिक्री में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर), दिनांक 31.03.2024 तक निवेश पूरा करना और उत्पादों में आयातित कच्चे माल का उपयोग न करने की शर्त को पूरा करना आवश्यक है । दावों की जांच करने पर यह पाया गया कि सभी आवेदक योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। वित्त वर्ष 22-23 और वित्त वर्ष 23-24 में जारी प्रोत्साहन राशि के रुझान को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान विनिश्चित किए गए हैं ।

**(ग):** ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(घ):** सरकार इस योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करती है। पीएलआई योजना के तहत, लाभार्थियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं, जिसमें 70 एमएसएमई सीधे नामांकित हैं तथा 40 अन्य बड़ी कंपनियों के लिए अनुबंध निर्माता के रूप में योगदान दे रहे हैं।

*****